श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्र0सं0 85/2017 पंजाब नेशनल बैंक शाखा मीरा चौक श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स खुराना इन्टरप्राईजेज दुकान न0 85, गुरूद्वारा रोड़, नजदीक रेल्वे स्टेशन श्रीगंगानगर जरिये प्रोपराईटर श्री पवनदीप खुराना पुत्र श्री गजेन्द्र सिंह खुराना निवसी मकान न0 617 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

AB/1

03.10.2017

प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक के अभिभाषक श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित है। प्रार्थी बैंक के अभिभाषक श्री भारत भूषण महेन्द्रा की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अभिभाषक भारत भूषण महेन्द्रा का कथन है कि प्रार्थी बैंक द्वारा एक प्रा0 पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है (जिसे आगे अधिनियम कहा जाकर सम्बोधित किया जावेगा) कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी मैसर्स खुराना इन्टरप्राईजेज दुकान न0 85 गुरूद्वारा रोड़, नजदीक रेल्वे स्टेशन, श्रीगंगानगर जरिये प्रोपराईटर श्री पवनदीप खुराना पुत्र श्री गजेन्द्र सिंह खुराना निवासी मकान न0 617 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर को ऋण सुविधा के रूप में 45,00,000रूपये (अखरे पैन्तालीस लाख मात्र) ऋण दिनांक 20.09.2012 को स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की ऐवज में अप्रार्थी ऋणी श्री पवनदीप खुराना ने ने अपना आवासीय मकान न0 617 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 30X50 कुल 1500 वर्गफुट प्रार्थी बैंक के पास रहन रखा। अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज का भुगतान समय पर नही किया गया है जिस कारण उसका ऋण खाता दिनांक 05.04.2017 को एन.पी.ए. हो गया। अप्रार्थी ऋणी की ओर दिनांक 31.03.2017 को ऋण राशि 48,69,054रूपये एवंम इसके बाद का ब्याज व अन्य खर्चे बकाया है। उक्त बकाया ऋण राशि की वसूली के लिए अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजि0 नोटिस दिनांक 07.04.2017 को भिजवाया गया था नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक की बकाया राशि का भुगतान नही किया गया है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी श्री पवनदीप खुराना द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखा गया आवासीय मकान न0 617 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 30X50 कुल 1500 वर्गफुट का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावें।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक द्वारा कुल 45,00,000रूपये (अखरे पैन्तालीस लाख मात्र) का ऋण दिनांक 20.09.2012 को अप्रार्थी मैसर्स खुराना इन्टरप्राईजेज दुकान न0 85 गुरूद्वारा रोड़, नजदीक रेल्वे स्टेशन, श्रीगंगानगर जरिये प्रोपराईटर श्री पवनदीप खुराना पुत्र श्री गजेन्द्र सिंह खुराना निवासी मकान न0 617 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर को स्वीकृत किया था जिसकी सुरक्षा की ऐवज में अप्रार्थी ऋणी श्री पवनदीप खुराना द्वारा आवासीय मकान न0 617 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 30x50 कुल 1500 वर्गफुट प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखा। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक की ऋण राशि का भुगतान नियमित रूप से न किया जाने के कारण उसका ऋण खाता दिनांक 05.04.2017 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया और धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 07.04.2017 को बकाया राशि 48,69,054–रूपये जमा करवाने के लिए 60 दिवस का रजि0 ए.डी. नोटिस जारी किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रार्थी बैंक द्वारा प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 14 के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार ऋणी द्वारा मांग सूचना के उतर में लगभग 2 माह पश्चात अपना जबाब/अभ्यावेदन दिनांक 06.06.2017 को बैंक को प्रस्तुत किया गया है जिस पर सक्षम बैंक अधिकारी द्वारा विचार कर दिनांक 15.06.2017 को ऋणी को सूचित कर दिया गया। जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी ऋणी को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस के रजि0 नोटिस की तामील हो चुकी है। किन्तु उनके द्वारा बैंक की बकाया राशि आज तक जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी सम्पति आवासीय मकान न0 617 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 30X50 कुल 1500 वर्गफुट का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाने की प्रार्थना की गयी है।

चूंकि प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त भिजवाये गये धारा 13(2) के रजि. ए.डी. नोटिस पर अप्रार्थी ऋणी श्री पवनदीप खुराना स्वयं द्वारा प्राप्त किया गया है परिणाम स्वरूप प्रस्तुत ए.डी. रसीद पर अप्रार्थी के नोटिस पर प्राप्ति के हस्ताक्षर भी है और प्रार्थी बैंक के शपथ पत्र अनुसार उक्त मांग सूचना के उतर में अप्रार्थी ऋणी द्वारा दिनांक 06.06.17 को अपना जबाब/अभ्यावेदन बैंक को प्रस्तुत किया गया और बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को उक्त जबाब/अभ्यावेदन पर विचार कर दिनांक 15.06.17 को उसे सूचित किया जा चुका है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी की बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई गई है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी ऋणी श्री पवनदीप खुराना द्वारा प्रार्थी बैंक के पास ऋण की सुरक्षा की एवज में बन्धक रखी गयी सम्पति आवासीय मकान न0 617 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 30X50 कुल 1500 वर्गफुट का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी श्री पवनदीप खुराना ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पास ऋण की सुरक्षा की एवज में बन्धक रखी गयी सम्पति आवासीय मकान न0 617 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 30X50 कुल 1500 वर्गफुट का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पति का कब्जा प्राप्ति हेतु उनके चाहे अनुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 03.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर